


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: संशोधन-आदेश ::—

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य-उमावि के स्थानान्तरण / पदस्थापन संशोधन/समायोजन सम्बन्धी आदेश दिनांक 02-06-2017 में निम्नानुसार कॉलम संख्या-04 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन जारी किया जाता है :-


क्रसं	विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशांक एवं दिनांक	नाम प्रधानाचार्य-उमावि मय पदस्थापन स्थान	आंशिक संशोधन का विवरण
1	2	3	4
1	शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2017 दिनांक 02-06-2017	श्री विजय कुमार धुन्धवाल, प्रधानाचार्य राउमावि0 नोख जिला जैसलमेर	कार्मिक का नाम विजयकुमार धोधवाल के स्थान पर <b>विजय कुमार धुन्धवाल</b> एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि0 घाँघू-चूरू के स्थान पर <b>राउमावि नोख जिला जैसलमेर से राउमावि घाँघू-चूरू के आदेश पर</b> पढा जावे।
2	शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2017 दिनांक 02-06-2017	श्री अंग्रेज सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि सिंगरासर श्रीगंगानगर	लीडर-शीप प्रशिक्षण शिविर में संभागी होने के कारण नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि, कार्मिक की हद तक <b>दिनांक 10-06-2017 के स्थान पर 15-06-2017</b> की जाती है।
3	शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2017 दिनांक 02-06-2017	श्री मुकन्द सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि 78-जीबी0 श्रीगंगानगर	लीडर-शीप प्रशिक्षण शिविर में संभागी होने के कारण नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि, कार्मिक की हद तक <b>दिनांक 10-06-2017 के स्थान पर 15-06-2017</b> की जाती है।
4	शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2017 दिनांक 02-06-2017	श्री महेन्द्र सिंह नेहरा, प्रधानाचार्य राउमावि कून्दा-देवगढ जिला राजसमन्द	विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02-06-2017 में क्रम संख्या-140 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान/ पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान हीरादेसर भोपालगढ जोधपुर के स्थान पर <b>राउमावि0 देवगढ जिला राजसमन्द</b> पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

  
 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
 बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/आं.संशोधन/2016-17 दिनांक :- 06-06-17  
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा-प्रथम/द्वितीय।
- 3 सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष।
- 4 सम्बन्धित कार्मिक/प्रधानाचार्य-राउमावि0 को पालनार्थ।
- 5 रक्षित/ निजी पत्रावली।

  
 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
 बीकानेर